नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय, दुर्ग

जिला-दुर्ग (छ.ग.)

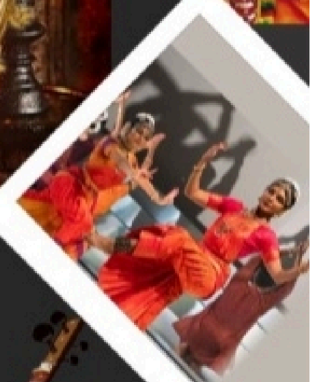

विवरणिका

Naveen Shaskiya Sangeet Mahavidyalaya, Durg (C.G.)

(सम्बद्ध-इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़)

विवरणिका

PROSPECTUS

नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Naveen Shaskiya Sangeet Mahavidyalaya, Durg (C.G.)

(सम्बद्ध-इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़)

प्राचार्य की कलम से ...

छत्तीसगढ़ शासन उच्चशिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को कला एवं संगीत विधा में रोजगार के सृजन एवं कलाओं के संरक्षण की दृष्टिकोण से नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय की स्थापना 23 जून 2023 के आदेश के माध्यम से की गई है।

महाविद्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों को एक नयी विधा में स्नातक करने का अवसर प्राप्त होगा।

कलाएँ जीवन में आनन्द का संचार करती हैं। हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति में ललित कलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। रोजगार की दृष्टि से भी ललित कलाओं का शिक्षण उपयोगी है। ललित कलाएँ हमारी सांस्कृतिक विरासत भी हैं। इनका संरक्षण भी हमारा दायित्व है। सीखने के लिए साधना और समर्पण का भाव हो, तो हम सरलता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। ललित कलाओं के विकास के लिए समर्पित इस महाविद्यालय में प्रवेश लेकर वे स्वयं को गढ़ें, संस्था का सम्मान बढ़ायें, प्रदेश एवं देश में ही नहीं, अपितु विश्व में भी ललित कलाओं की सुरभि प्रकाशित करें।

मंगलकामनाओं के साथ

डॉ. ऋचा ठाकुर
प्राचार्य
नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

शिक्षा सत्र

नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 2023-24 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो चुका है।

स्थान

नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय दुर्ग, वर्तमान में शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग परिसर में ही संचालित हो रहा है।

रेल मार्ग

यह महाविद्यालय हावड़ा-मुम्बई के मुख्य रेल्वे मार्ग पर स्थित है, रेल्वे स्टेशन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है।

वायु मार्ग

दुर्ग से निकटतम हवाई अड्डों में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर और डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर क्रमशः 122 एवं 255 कि.मी. की दूरी पर हैं।

सड़क मार्ग

जिला मुख्यालय दुर्ग में जी.ई. रोड पर स्थित है जो बस स्टैण्ड से 200 मीटर दूरी पर है।

जलवायु

दुर्ग शहर एक औद्योगिक नगर है जहां भिलाई स्टील प्लांट स्थित है, यहां का शैक्षणिक वातावरण विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है। भारत का यह हिस्सा अप्रैल माह से मध्य जून के बीच गर्म रहता है। इन दो महीनों के अलावा जलवायु अनुकूल रहती है। यहां पर मानसून शरद और बसंत ऋतु का भरपूर आनंद लिया जा सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया

आवेदन पत्र

महाविद्यालय में नये शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु ऑफ लाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है । आवेदक के मैरिड के आधार पर विभागीय प्रवेश समिति प्रवेश सूची एवं प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जारी करेगी । प्रवेश सूची के आधार पर आवेदन को निर्धारित तिथियों के भीतर प्रवेश संबंधी सारी औपचारिकताएँ अनिवार्य रूप से पूरी करनी होंगी । प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही नियत तिथि तक विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य है ।

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन किया जाता है ।

प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व आवेदन प्रवेश संबंधी सभी नियमों को ध्यान से पढ़ें । आवेदन प्रवेश हेतु अनिवार्य अर्हता रखते हैं, यह स्वयं सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवेदन भरें । त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे । सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने पर आवेदक को संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभिरूचि परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।

प्रथम वर्ष की कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्क जमा करने की तिथि अलग से घोषित की जायेगी ।

स्नातक के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया 01 जुलाई 2023 से प्रारंभ होगी ।

प्रवेश हेतु आयु सीमा -

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में आयु सीमा में बंधन समाप्त किया गया है ।

प्रवेश हेतु आरक्षण -

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु निम्नानुसार स्थान आरक्षित हैं :-

1.	अनुसूचित जनजाति	32%
2.	अनुसूचित जाति	12%
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	14%
4.	दिव्यांग	03%
5.	अप्रवासी भारतीय/विदेशी	10%
6.	खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए	05%

7. अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में तबादले पर आने वाले पालकों के परिवार के सदस्यों के लिए 10%
8. आरक्षित स्थान परस्पर परिवर्तनशील होंगे।
9. रिक्त आरक्षित स्थानों में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।
10. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों में 5% तक की छूट दी जायेगी।
11. भारत सरकार द्वारा कश्मीरी माइग्रेन्ट को, जो वर्ष 2006-07 से प्रवेश हेतु विशेष छूट दी गई है, वह इस महाविद्यालय में भी लागू होगी।
    - सामान्य प्रवेश तिथि से 30 दिन पश्चात् तक प्रवेश की पात्रता।
    - न्यूनतम वांछित अर्हता में 10 प्रतिशत तक की छूट।
    - विषयवार 5 प्रतिशत सीट वृद्धि
    - टेक्निकल/प्रोफेशनल संस्थाओं में मेरिट कोटा में कम से कम एक सीट का आरक्षण
    - निवास प्रमाण पत्र संबंधी छूट।
    - विस्थापितों (माइग्रेन्टस) को द्वितीय एवं उसके आगे के वर्षों में भी सुविधा देना।
    - कुल सीटों के विरूद्ध दो सीटें जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रखना
12. शासन द्वारा समय पर जारी आरक्षण नियम यथावत लागू होगा।

प्रवेश हेतु संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र -

1. प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हताओं से संबंधित अंक सूची एवं प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित छायाप्रतियाँ।
2. जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित छायाप्रति।
3. पूर्व संस्था/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित मूलप्रति।
4. यदि पूर्व संस्था में अध्ययन करने के बाद से इस संस्था में प्रवेश के बीच रिक्तता रही है, तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी का शपथ पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा।
5. आरक्षित कोटे में प्रवेश लेने वाले आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संबंधित अद्यतन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. ट्रान्सफर सर्टिफिकेट की मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करनी होगी।
7. माइग्रेशन सर्टिफिकेट (मूलप्रति)।
8. छ.ग. मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
9. आधार कार्ड की छायाप्रति।
10. विवरणिका (प्रास्पेक्टस) खरीदे जाने की रसीद की छायाप्रति।

अप्रवासी भारतीय/विदेशी विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त आवश्यक प्रमाण पत्र -

1. एड्स-मुक्त प्रमाण पत्र।
2. स्टूडेन्ट वीजा।

प्रवेश निषेध -

1. महाविद्यालय की परम्पराओं का उल्लंघन करने वाले तथा शैक्षणिक वातारण को दूषित करने वाले किसी भी विद्यार्थी को महाविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
2. यदि आवश्यक हो तो विषय परिवर्तन का केवल एक अवसर मुख्य विषय से संबंधित विभागध्यक्ष की संस्तुति के बाद परिवर्तित विषय के विभागाध्यक्ष की अनुमति के आधार पर दिया जा सकेगा। विषय परिवर्तन का समय प्रवेश शुल्क जमा करने के ठीक एक माह के अन्दर का होगा। इसके बाद विषय परिवर्तन का अवसर नहीं दिया जायेगा।
3. किसी स्नातकोत्तर उपाधि धारक को दूसरी स्नातकोत्तर उपाधि के लिए केवल स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है।
4. वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत ए टी के टी (ATKT) की कार्यवाही विश्वविद्यालय नियमों के आधार पर की जायेगी।
7. यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित समयावधि में किसी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो उसे आगामी शिक्षण सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रत्येक विद्यार्थी (नियमित एवं स्वाध्यायी) को डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा अधिकतम 5 वर्ष जो पहले हो, के भीतर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इस हेतु कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा।
8. महाविद्यालय द्वारा केवल यू.जी.सी./ए.आई.यू. मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों तथा केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्रों को ही मान्य किया जायेगा। अन्य संस्थाओं के जिन पाठ्यक्रमों को प्रवेश हेतु समकक्षता दी गई है उनकी सूची संलग्न है।
9. ऐसे दिव्यांग/दृष्टिबाधित विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा, जिसकी दिव्यांगता संबंधित पाठ्यक्रम की आवश्यकता और अध्ययनशीलता को प्रभावित करती हो।

आचार संहिता -

1. सभी विद्यार्थियों को महाविद्यालय की आचार संहिता एवं रैगिंग विरोधी अध्यादेश का पालन करना अनिवार्य है। आचार संहिता संबंधी विस्तृत नियमावली महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध है।
2. रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है तथा महाविद्यालय परिसर के भीतर अथवा बाहर रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है। संबंधित विद्यार्थी इस संबंध में कुलानुशासक को 9407762788 अथवा महाविद्यालय के एन्टी रैगिंग सेल से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
3. यदि रैगिंग का कोई प्रकरण सामने आया, तो लिप्त छात्र/छात्रा से जवाब माँगा जायेगा और यदि उसका जवाब संतोशजनक नहीं हुआ, तो प्रशासन उसे संस्था से निकालने का निर्णय ले सकता है।
4. महाविद्यालय द्वारा गठित प्रॉक्टोरियल बोर्ड रैगिंग संबंधी प्रकरणों पर निगरानी रखेगा तथा जो छात्र/छात्रा रैगिंग में लिप्त अथवा सहयोगी पाए जायेंगे, उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अपनी अनुशंसा देगा।

5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय परिसर के भीतर अथवा बाहर विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता अथवा दुर्व्यवहार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार महाविद्यालय प्रशासन को है, जिसमें विद्यार्थियों का निलंबन, निर्वासन, परीक्षा से वंचित करना तथा महाविद्यालय से निष्कासन आदि सम्मिलित है।

6. छात्रों तथा छात्राओं को परिसर में गरिमापूर्ण एवं शालीन परिधान में उपस्थित रहना अपेक्षित है।

7. महाविद्यालय परिसर में नशा एवं मादक सामग्रियों का सेवन निषेध एवं दण्डनीय है।

8. प्रवेश, योग्यता, शुल्क, आरक्षण, आयु संबंधी किसी विवाद में महाविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

परीक्षाएँ -

1. प्रत्येक विद्यार्थी की संबंधित पाठ्यक्रम की कक्षाओं में 75% (पचहत्तर प्रतिशत) उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा 15% (पन्द्रह प्रतिशत) की छूट दी जा सकती है।

2. परीक्षाओं हेतु निर्धारित नियमित तथा स्वाध्यायी विद्यार्थी के आवेदन पत्र महाविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि के 45 दिन पूर्व तक कुलपति की विशेष अनुमति एवं निर्धारित विशेष परीक्षा शुल्क सहित स्वीकार किए जा सकेंगे।

3. उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मुल्यांकन हेतु आवेदन-पत्र परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् अंक सूची प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर महाविद्यालय में जमा होना आवश्यक है।

4. अप्रवासी भारतीय/विदेशी विद्यार्थी को किसी भी परीक्षा में स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

5. यदि कोई विदेशी विद्यार्थी अथवा अप्रवासी भारतीय विद्यार्थी इस महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी होते हुए किसी भी अन्य संस्था, जो इन्दिरा कला संगीत महाविद्यालय से संबंधित न हो, से किसी परीक्षा में बिना पूर्व अनुमति के सम्मिलित हुआ पाया गया, तो उसे इस महाविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।

6. परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी रहेगा।

(अ) स्नातक पाठ्यक्रम में एग्रीगेट न्यूनतम अंक 45% होना आवश्यक है।

(ब) संबंधित विषय, जिसमें विद्यार्थी स्नातकोत्तर करना चाहता है, 50% अंक (तीनों वर्ष मिलाकर) होना आवश्यक है।

(स) अभ्यार्थियों पर आरक्षण नियमानुसार लागू होगा।

महाविद्यालय शिक्षण विभाग में संचालित पाठ्यक्रम

स्नातक पाठ्यक्रम			
क्र.	नाम	अवधि	पात्रता
1.	बी.पी.ए. संगीत/नृत्य/लोकसंगीत	4 वर्ष	10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

बी. पी. ए.	
मुख्य विषय (कोई एक)	सहायक विषय (कोई एक)
हिन्दुस्तानी गायन, भरतनाट्यम, लोकसंगीत	हिन्दुस्तानी गायन, भरतनाट्यम लोकसंगीत, सुगम संगीत

वर्ष	विषय विवरण
बी. पी. ए. प्रथम वर्ष	हिन्दी, अंग्रेजी में से कोई एक भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन
बी. पी. ए. द्वितीय वर्ष	आपदा प्रबंधन, मानव अधिकार, योग/राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) संग्रहालय विज्ञान, ट्रैव्हल एण्ड टूरिजम English Language and Communication Skill प्रयोजनमूलक हिन्दी (कोई एक)
बी. पी. ए. तृतीय वर्ष	कम्प्यूटर एप्लिकेशन एवं एन्ट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया/मुख्य विषय से संबंधित कौशल विकास, व्यक्तित्व विकास/शिक्षण कौशल (कोई एक)
बी. पी. ए. चतुर्थ वर्ष	शोध प्रविधि एवं मुख्य विषय से संबंधित प्रोजेक्ट वर्क

- सहायक विषय के रूप में चयनित विषय मुख्य विषय से अलग इतर होना अनिवार्य है ।
- पर्यावरण अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य है ।

Naveen Shaskiya Sangeet Mahavidyalaya, Durg
Dist. Durg (C.G.)

Affiliated - Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Khairagarh (C.G.)
(Accredited with grade “A” University by NAAC)

Please Past pasport size photography of the applicant.
आवेदक अपना पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चिपकायें।

Application Form For Admission

Session ....

1.	Name of the course in which admission is sought : पाठ्यक्रम का नाम जिसमें प्रवेश चाहिये :													
2.	Full Name (in block letters)													
	पूरा नाम (हिन्दी में)													
3.	Date of birth जन्मतिथि	(DD)	(MM)	(YYYY)	4.	Gender लिंग	(Female) ☐	(Male) ☐	(Other) ☐					
5.	Category वर्ग	(SC) ☐	(ST) ☐	(OBC) ☐	(GEN) ☐	(MINORITY) ☐	(EWS) ☐	6.	Marital Status वैवाहिक स्थिति	Marital विवाहित	☐	Unmarried अविवाहित	☐	
7.	Caste जाति		8.	Rural ग्रामीण	☐	Urban शहरी	☐	9.	Religion धर्म					
10.	Nationality राष्ट्रियता		11.	Mother Tongue मातृभाषा										
12.	Mother's Name (in block letters)		Phone फोन											
	माँ का नाम (हिन्दी में)		Occupation व्यवसाय											
	E-mail Id ई–मेल आईडी													
13.	Father's Name (in block letters)		Phone फोन											
	पिता का नाम (हिन्दी में)		Occupation व्यवसाय											
	E-mail Id ई–मेल आईडी													
14.	Guardian's Name (in block letters)		Phone फोन											
	अभिभावक का नाम (हिन्दी में)		Occupation व्यवसाय											
	E-mail Id ई–मेल आईडी													
15.	If guardian is other than parent, please mention the relationship : माता–पिता के न होने पर अभिभावक से संबंध स्पष्ट करें :													
16.	Address of communication पत्र व्यवहार हेतु पता		Pin पिन											
17.	Permanent Address स्थायी पता		Pin पिन											
18.	If applicant is physically disabled (differently abled), please specify आवेदक यदि दिव्यांग हैं तो विवरण देवें	OH अस्थी बाधित	☐	VH दृष्टि बाधित	☐	HH श्रवण बाधित	☐							

19. Details of examinations passed
उत्तीर्ण पाठ्यक्रमों का विवरण

No. क्र.	Name of Examinations passed उत्तीर्ण पाठ्यक्रम	Subject विषय	Name of the board/university मण्डल/महाविद्यालय का नाम	Percentage प्रतिशत	Division/Grade श्रेणी/ग्रेड	Year वर्ष
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Note : Attested copies of related certificates must be enclosed.
टीप : संबंधित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपियों संलग्न करना अनिवार्य है ।

20. Class in which admission is sought कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिये	

21.

	Core Subject मुख्य विषय	Elective Subject सहायक विषय	Compulsory Subject अनिवार्य विषय
Option - 1 विकल्प - 1			Environmental Studies पर्यावरण अध्ययन
Option - 2 विकल्प - 2			Language (Any one) भाषा (कोई एक) संस्कृत ☐ हिन्दी ☐ English ☐

22. If the student is seeking re-admission, give details as under :
यदि विद्यार्थी द्वारा पुनः प्रवेश लिया जा रहा है तो निम्नानुसार विवरण देवें :

Name of the class कक्षा का नाम	Subject विषय	Date of admission प्रवेश तिथि	Year of leaving छोड़ने का वर्ष	Reason of leaving छोड़ने का कारण

23. Hostel facility required : छात्रावास सुविधा चाहते है :	Yes हाँ	☐	No नहीं	☐

Part - I

ANTI-RANGGING DECLARATION

I ____________________________________ shall not participate in any act of ragging. If I take part in ragging (which includes physical/mental injury to any student, teasing, insulting, cracking obscene jokes/ songs, in beharior, rioting, scolding abusing etc.) or encourage it, I shall abide by the decision of the University that includes all the punitive measures pronounced by the governments.

मैं .... रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लुँगी । यदि मैं रैगिंग में भाग लेता/लेती हूँ (जिससे कि किसी विद्यार्थी को शारीरिक/मानसिक चोट पहुँचना/छेड़ना, अपमानित करना, अशलील चुटकुले तथा गीत सुनाना, असभ्य व्यवहार करना, हुल्लड़ मचाना, डाँटना, गाली देना) अथवा उसमें मदद करता/करती हूँ तो नियमानुसार महाविद्यालय द्वारा मेरे विरुद्ध जो भी आवश्यक कार्यवाही की जावेगी, जिसमें शासन द्वारा जारी किये गये सभी दण्ड प्रावधान सम्मिलित हैं, मुझे मान्य होंगे ।

Name and Signature of the Parent/Guardian माता-पिता/अभिभावक का नाम एवं हस्ताक्षर	**Name and Signature of the Student** विद्यार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर

INFORMATION FOR IDENTITY CARD

विद्यार्थियों के परिचय पत्र हेतु जानकारी

(जानकारियों की पूर्ति स्पष्ट अक्षरों में विद्यार्थियों द्वारा की जानी है ।)

Session ....

Name of the Student : ....

Father's Name : ....

Date of Birth : ....

Blood Group : ....

Class : ....

Subject : ....

Phone/Mobile No. : ....

Please Past pasport size photography of the applicant.

आवेदक अपना पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चिपकायें ।

Signature of Student

Admission Incharge

Contact : 098274 61164
Email naveensangeetcollege@gmail.com

नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Naveen Shaskiya Sangeet Mahavidyalaya, Durg (C.G.)

(सम्बद्ध-इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़)

मुल्य 225 / -